

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

सिकन्दर

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट.

नम्बर

83

सन-2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख
02.12.2021 02.11.2021	<p>प्रशासन गांव के अभियान कैम्प कोर्ट भगुली प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी / अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 102/99 की कुल 5.2630 हैक में से 119/5263 हैक व खाता संख्या 185/176 की कुल 6.5910 हैक में से 659/6591 हिस्सा, रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 61/60 की कुल 5.0590 हैक भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम सुखेन्द्र, सिकन्दर पुत्र निजामदीन दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी का सही नाम सिकन्दर पुत्र निजामदीन है।</p> <p>प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात, आम आदमी का आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम सिकन्दर पुत्र निजामदीन दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सिकन्दर पुत्र निजामदीन दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।</p> <p>तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट / मजमे आम की जानकारी के अनुसार प्रार्थी का नाम सिकन्दर पुत्र निजामदीन है नाम संशोधन की अभिशषा की गई है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सिकन्दर, सिकन्दर पुत्र निजामदीन दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम सिकन्दर पुत्र निजामदीन दर्ज है।</p> <p>प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में कैम्प के दौरान सरपंच / मजमे आम में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी के नाम को तस्दीक की गई है।</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत / मजमे आम की तस्दीक / तहसीलदार की अभिशषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 102/99 की कुल 5.2630 हैक में से 119/5263 हैक व खाता संख्या 185/176 की कुल 6.5910 हैक में से 659/6591 हिस्सा, रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 61/60 की कुल 5.0590 हैक में प्रार्थी का नाम सुखेन्द्र उर्फ सिकन्दर, सिकन्दर पुत्र निजामदीन, सुखेन्द्रखां पुत्र निजामदीन दर्ज है के स्थान पर सिकन्दर उर्फ सिकन्दर पुत्र निजामदीन संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान-2021

कैम्प कोर्ट ..भगुली.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/
तहसीलदार राजस्व नोहर ।

दिनांक :-

विषय :- प्रकरण अनवानी सिकन्दर बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. सिकन्दर पुत्र निजामदीन जाति दमामी निवासी खईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा खईया के खाता संख्या 102/99 की कुल 5.2630हैक् में से 119/5263हैक् व खाता संख्या 185/176 की कुल 6.5910हैक् में से 659/6591हिस्सा , रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 61/60 की कुल 5.0590हैक् में प्रार्थी का नाम सुखेन्द्र उर्फ सिकन्दर, सिकन्दर पुत्र निजामदीन, सुखेन्द्रखां पुत्र निजामदीन दर्ज है के स्थान पर सिकन्दर उर्फ सिकन्दर पुत्र निजामदीन संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021.
कैम्प कोर्ट ..भगुली